2022/58

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री कान्तिलाल उपाध्याय जाति उपाध्याय निवासी सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 11 वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
03.02.2022	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई । अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे । अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 07.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को गांव सांतपुर तहसील आबूरोड में स्थित गोचर/चारागाह भूमि में 3–4 माह पूर्व निर्माण करवाए गए, जिसमें राजकीय राशि का दुरूपयोग होने की जांच बाबत शिकायत पेश की, जिसकी जांच जिला कलक्टर सिरोही द्वारा श्री शंकरलाल राठौर अधिशाषी अभियंता जिला परिषद सिरोही द्वारा जांच करवाई गई, उक्त जांच प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था । किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं । मैने पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10 जमा करा दिये है । अपीलांट द्वारा लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को दिनॉक 07.10.2021 को एक प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर सिरोही को गांव सांतपुर तहसील आबूरोड में स्थित गोचर/चारागाह भूमि में 3–4 माह पूर्व निर्माण करवाए गए, जिसमें राजकीय राशि का दुरूपयोग होने की जांच बाबत शिकायत पेश की, जिसकी जांच जिला कलक्टर सिरोही द्वारा श्री शंकरलाल राठौर अधिशाषी अभियंता जिला परिषद सिरोही द्वारा जांच करवाई गई, उक्त जांच प्रतिवेदन से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर सिरोही को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें । यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से खारिज हो । Signature Not Verified Digitally signed by Bhanwar Lal Date: 2022.02.15 18:17:18 IST Reason: SelfAttested (डॉ. भॅवर लाल) जिला कलक्टर, सिरोही	

Scanned with CamScanner